



2026:AHC: 2411

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19509 वर्ष 2025

रूपा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव, रमेश चंद्र पाठक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता के पति, स्वर्गीय अजय कुमार सिंह, समाज कल्याण कार्यालय बस्ती, जनपद बस्ती में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे और सेवाकाल के दौरान 03.02.2023 को उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का दावा करती हैं। यद्यपि पत्राचार किए गए और रिट याचिकाकर्ता से इनपुट मांगे गए थे, लेकिन रिट याचिकाकर्ता को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को **निस्तारित** करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या-3 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवादी संख्या-3 उक्त प्रस्ताव पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, उपयुक्तता, पात्रता या प्रतिस्पर्धी दावों (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।